

गुजरात के आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था और भाषा

डॉ. हेतल जी. चौहाण

सूरत, गुजरात

आदिवासी शब्द दो शब्दों “आदि” और “वासी” से मिल कर बना है और इसका अर्थ मूल “निवासी” होता है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। पुरातन लेखों में आदिवासियों को “अत्तिका” और “वनवासी” भी कहा गया है (संस्कृत ग्रंथों में)। संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का उपयोग किया गया है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में संथाल, गोंड, मुंडा, खडिया, हो, बोडो, भील, गरसिया, मीणा, उरांव, चौधरी, राठवा, गामित, वसावा, बिरहोर आदि हैं।

महात्मा गांधी ने आदिवासियों को “गिरिजन” (पहाड़ पर रहने वाले लोग) कहकर पुकारा है। जिस पर वामपंथी मानविज्ञानियों ने सवाल उठाया है कि क्यात मैदान में रहने वालों को मैदानी कहा जाता है ? आदिवासी को दक्षिणपंथी लोग “वनवासी” या “जंगली” कहकर पुकारते हैं। इस तरह के नामों के पीछे बुनियादी रूप से यह धारणा काम कर रही होती है कि आदिवासी देश के मूल निवासी हैं या नहीं तथा आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं या बाहर से आए हैं ? जबकि निश्चित रूप से कहा जाए तो आदिवासी ही भारत के मूलनिवासी हैं। भारत सरकार ने इन्हें भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में “अनुसूचित जनजाति” के रूप में मान्यता दी है। अक्सर इन्हें अनुसूचित जातियों के साथ एक ही श्रेणी में “अनुसूचित जाति और जनजाति” में रखा जाता है जो कुछ सकारात्मक कार्यवाही के उपायों के लिए पात्र है।

आमतौर पर आदिवासियों को भारत में जनजातीय लोगों के रूप में जाना जाता है। आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्यों उड़िया, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एवं गुजरात में अल्पसंख्यक हैं जबकि भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में ये बहुसंख्यक हैं, जैसे मिजोरम।

गुजरात के आदिवासियों में भी दक्षिण गुजरात के आदिवासियों की बात करें तो यहाँ मुख्यतः कुंकणा, धोडिया, गामित, वसावा, राठवा, नायका, हळपति, भील, चौधरी, डामोर, कटारा, कोटवाणिया इत्यादि आते हैं। हम आज यहाँ इनकी सामाजिक व्यवस्था तथा भाषा की बात करेंगे।

आदिवासी समाज मातृप्रधान समाज है। जिसमें परिवार के महत्वपूर्ण फैसलें मोडी आयो (दादीजी) लेती है। परिवार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पति-पत्नी की होती हैं। सामान्यतया वे खेती और पशुपालन करते हैं। उनकी रित-रसम अनोखे हैं जिसे अब हम आज यहाँ देखेंगे-

विवाहविधि -

जिसमें लड़का अपने पिता और कुछ रिश्तेदारों के साथ लड़की देखने जाता है। यदि लड़की पसंद आ जाती है तो लड़के की तरफ से दी जाने वाली दहेज की रकम निश्चित की जाती है। जब दोनों पक्ष की तरफ से एक-दूसरे की साडी बातें स्वीकार्य हो जाती हैं तब “पियाण दिवस” (मँगनी) की तिथि तय की जाती है। और जिस दिन मँगनी होती है उसी दिन विवाह की तिथि भी निश्चित की जाती है। उसी दिन कन्या (लड़की) बारात लेकर वर (लड़के) के घर विवाह करने जाती है। शाम को सूर्यास्त के बाद कन्या को आदर के साथ मंडप में लाया जाता है। कन्या को खाना खिलाने से पहले उसकी थाली में सवा रुपया रखा जाता है उसके बाद ही भोजन शुरू होता है। खाना खाने के बाद रात भर नाच-गाने की महेफील जमती है। इसमें कन्या और वर को उनके मामा अपने कन्धों पर उठाकर नचाते हैं तथा उनके भाई-बहन उनको बैलगाड़ी की तन्नी पर बैठाकर नचाते हैं। सुबह अग्नि वेदी के आगे सात फेरे लेकर विवाह संपन्न होता है। फिर कन्या पक्ष वाले कन्या को वहीं छोड़कर अपने घर चले आते हैं। विवाह के पांच दिन बाद वधू कुछ दिन अपने मायके रहने आती है। (आदिवासी संस्कृति में मामा और बुआ के बच्चों के बीच में लग्नप्रथा मान्य है।)

जन्मविधि :

जैसा अन्य संस्कृति में होता है कि पहले बच्चे का जन्म होने वाला होता है तब कन्या अपने मायके जाती है और वहीं बच्चे को जन्म देती है वैसा ही इस समाज में भी होता है। यहाँ भी जब पहले बच्चे का जन्म होने वाला होता है तब कन्या अपने मायके जाती है और वहीं बच्चे को जन्म देती है। प्रसूति के बाद बच्चा और माँ सवा महीने तक मायके में ही रहते हैं। एक महीने एक बाद बच्चे के मामा बच्चे के सिर के बाल काटते हैं, उसके बदले में वरपक्ष की तरफ से उसको उपहार देना पड़ता है।

मृत्यु की विधि :

आदिवासियों में जब किसी की मृत्यु होती है तब स्मशान में अग्निसंस्कार करके या फिर दफनाकर शव को मुक्ति दी जाती है। स्त्रियाँ स्मशान के अंदर नहीं जा सकती हैं इसलिए वे स्मशान के बाहर ही खड़ी रहकर मृतक को विदाई देती हैं। इनमें एक एसी मान्यता होती है कि मृतक को परलौकिक जीवन में उसकी पसंदीदा चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए उसको उसके मूल गहने और पसंद की चीज़ों के साथ ही मुक्ति दी जाती है। तत्पश्चात उसकी खटिया को भी उलटा करके वहीं स्मशान में छोड़कर आ जाते हैं। मृत्यु की सभी प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद हाथ-पैर धोकर घर में प्रवेश किया जाता है। जिसके घर में मृत्यु हुई होती है उनके घर में उस दिन घर में खाना नहीं बनता है। मृत्यु के 12वें या 40वें दिन के बाद शोकसभा रखी जाती है।

भाषा :

आदिवासियों की बोली और व्याकरण भी उनकी ही तरह अनूठे हैं। चूँकि अन्य भाषा की तरह उनका कोई लिखित स्वरूप नहीं है अतः वह बोली तक ही सीमित रह गई है। वैसे देखा जाए तो सभी आदिवासी बोलियाँ समग्रतया सुनने में एक समान ही लगती हैं। आदिवासी बोली के अधिकांश शब्द हमें कुछ-कुछ संस्कृत, मराठी तथा गुजराती भाषा जैसे लगते हैं।

गुजरात के आदिवासियों की मुख्य बोलियों में गामित, वसावा, कुंकणा, चौधरी आदि आती हैं। इन समग्र बोलियों में बहुवचन नहीं आता है, इनमें उम्र में छोटी व्यक्ति को भी “तु” और उम्र में बड़ी व्यक्ति को भी “तु” ही कहकर संबोधित किया जाता है। तदुपरान्त अन्य भाषाओं की तरह उसमें 12 काल, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तथा क्रियापद होते हैं।

आदिवासियों का भी अपना एक अलग पंचांग बनाया है। जिसकी तुलना हम आधुनिक कैलेंडर के साथ करते हैं तो इस प्रकार के शब्द मिलते हैं :

पंचांग :

महीने :

1. डोण नीतरा - जनवरी-फरवरी
2. उनाईओ - फरवरी-मार्च
3. खाड़ी - मार्च-अप्रैल
4. दाणी खाड़ी - अप्रैल-मई
5. इन्दल देवियो - मई-जून
6. उमाडिया जात्रा - जून-जुलाई
7. बोन्डिपाडा जात्रा - जुलाई-अगस्त
8. हिरा जात्रा - अगस्त-सितंबर
9. मारी मावा जात्रा - सितंबर-अक्टूबर
10. किल्ला जात्रा - अक्टूबर-नवंबर
11. देवलिया - नवंबर-डिसंबर
12. धोड़ जात्रा - डिसंबर-जनवरी

सप्ताह :

पहले के समय में जब दक्षिण गुजरात में गायकवाड़ी राज था तब नवसारी प्रांत में सोनगढ़-महाल विस्तार में चार गाँव के समूह में किसी एक गाँव में सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन को साप्ताहिक बाज़ार लगता था और उस बाज़ार के दूसरे

दिन को उस गाँव के नाम अनुसार नाम दिए गए थे जो नाम इस प्रकार अस्तित्व में आए :

1. बंधार पाडियो, वोडिओ - सोमवार
2. अरोहर, बाणो, बोरडी - मंगलवार
3. उमडियो, मांडविओ - बुधवार
4. देव गाडियो, इशरवाडियो - गुरुवार
5. वलोडियो, रायपुरियो - शुक्रवार
6. व्यारियो, थावर वार - शनिवार
7. इतवार या दीतवार - रविवार

विशेष :

दक्षिण गुजरात के डांग ज़िले के गांवों के से किए साक्षात्कार से मिली जानकारी के अनुसार यह लेख तैयार किया गया है अतः इसमें सन्दर्भ नहीं दिए गए है।